राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग--3)

क्रमांकः 2 (11सी)आरडी / नरेगा / 2006–07 जयपुर, दिनांकः 3 - AUG 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान अन्तर्गत अनुबंध पर नियोजित कार्मिकों के संबंध में।

संदर्भः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 16.07.2009 एवं एफ 4( ) ग्रावि / ग्रारो / बैठक / 09 दिनांक 17.07.2009

महोदय,

नरेगा के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के बारे में कई जिलों में अनावश्यक भ्रान्तियां उत्पन्न हुई है। इस बारे में समाचार–पत्रों से भी ज्ञात होता है कि जिला स्तर पर भ्रान्तियॉ दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

इस असमन्जस की स्थिति को दूर करने के लिए निम्न स्पष्ट **"निर्देश"** जारी किये जाते हैं :–

1. संविदा पर नियुक्त कार्मिक का अनुबंध स्वीकृत पद की अवधि तक ही रहेगा अर्थात् यदि पद दिनांक 28.02.2010 तक स्वीकृत है तो कार्मिक का अनुबंध भी दिनांक 28.02.2010 तक ही किया जाये। अनुबंध बढ़ाने की कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.2007 के आधार पर ही की जाए।
2. अनुबंध की अवधि बढ़ाने हेतु कार्यवाही इस विभाग के जारी पूर्व निर्देशानुसार कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही की जाये।
3. संविदा पर कार्मिकों की नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.2007 के आधार पर ही की जाए।
4. ऐसे कई कार्य जो स्वीकृत पद पर कार्मिक द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है उस कार्य को Out Source के माध्यम से कराया जा सकेगा।

कृपया आप इन निर्देशों से सभी कार्मिकों को अवगत कराये एवं इनके उपरान्त भी कोई संविदा पर कार्यरत कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के कार्य से अनुपस्थित रहता है तो उसके अनुबंध को समाप्त करने की कार्यवाही अनुबंध की शर्तो के अनुसार की जाए।

भवदीय,
Sd/-
(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री / राज्य मंत्री, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस 3/8